



2026:AHC-LKO:918-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 9 सन 2021

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ
एवं अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

वीरेंद्र सिंह एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	पंडित एस. चन्द्रा

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

(सी.एम. आवेदन संख्या 2798 / 2021 पर आदेश)

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. अपीलकर्ताओं को रिट याचिका (सेवा एकल) संख्या 2110/2020 में दिनांक 24.01.2020 को पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध निर्देशित किए जाने के अलावा, इस अपील को दाखिल करने में 317 दिनों का विलंब हुआ है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. हमने विलंब माफी के लिए दायर आवेदन के समर्थन में दिए गए शपथ-पत्र का अवलोकन किया है और हमें स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं लगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों, जैसे कि दिनांक 12.09.2025 को निर्णीत *शिवम्मा (मृत) द्वारा एल.आर.एस. बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड और अन्य; 2025 एससीसी ऑनलाइन 1969* में प्रकाशित, के आधार पर परीक्षण करने पर, हमें इस अपील को दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं मिलता है।
4. इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत विशेष अपील दाखिल करने की समय सीमा, जो कि 30 दिन है, जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय IX नियम 10 के तहत परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 117 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, 15 मार्च, 2020 से पहले समाप्त हो गई थी, जो कि वह तारीख है जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 03/2020 में ऐसी अपील दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई थी, इसलिए उक्त आदेशों का लाभ याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता है। वैसे भी, चुनौती दिया गया आदेश एक अंतरिम आदेश है जो केवल अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को जी.पी.एफ. नंबर आवंटित करने का निर्देश देता है। रिट याचिका अभी भी लंबित है। अपीलकर्ता रिट न्यायालय के समक्ष सभी अनुमत दलीलें उठा सकते हैं, जिन पर सुनवाई के समय विचार किया जा सकता है।
5. इन सभी कारणों से, हमें अपील दाखिल करने में हुये इस अत्यधिक विलंब को माफ करने का कोई कारण नहीं दिखता। तदनुसार, विलंब की माफी के लिए आवेदन **खारिज** किया जाता है।
6. फलस्वरूप, लंबित रिट याचिका में अपीलकर्ताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपील भी **खारिज** की जाती है।

जनवरी 7, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रवीण

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।